

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी- अरुण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 118/2024

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर-2024/ 132

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
Edelwels Asset Reconstruction Company Limited, 2 nd Floor, Plot N. 100, Vaishali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan-302021		1- M/s Balaji Chappan Bhog Hotel Add-1:- Bikaner Road, Nagaur, Rajasthan-341001 Add-2:- Patta no 2017/176, Rathori Kuwa, Nagaur, Rajasthan-341001, Admeasurin 113.78 SQ. YDS 2- Anita W/o Hukmi Chand Sankhla Add-1:- 30, Rathori Kuwa, Nagaur, Rajasthan 341001 Add-2:- Bikaner Road, Nagaur, Rajasthan-341001 Add-3:- Patta no 2017/176, Rathori Kuwa, Nagaur, Rajasthan-341001, Admeasurin 113.78 SQ. YDS 3- Hukmi Chand Sankhla S/o Jagdish Prasad Add-1:- 30, Rathori Kuwa, Nagaur, Rajasthan 341001 Add-2:- Bikaner Road, Nagaur, Rajasthan-341001 1. Add-3:- Patta no 2017/176, Rathori Kuwa, Nagaur, Rajasthan-341001, Admeasurin 113.78 SQ. YDS
	आदेश	दिनांक: 11/06/2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रुपये 8,00,000/- (अक्षरे आठ लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 13.10.2017 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में अचल सम्पत्ति- Hukmi Chand Sankhla S/o Jagdish Prasad, Anita W/o Hukmi Chand को विक्रय पत्र पता- Patta no 2017/176, Rathori Kuwa, Nagaur, Rajasthan-341001, Admeasurin 113.78 SQ. YDS जो कि दिनांक 09.06.2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1149 में प्रष्ठ संख्या 120 क्रम संख्या 2017030999102896 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3262 के पृष्ठ संख्या 170 To 175 पर चप्पा किया गया। दिनांक 09.06.2017 in the office of Sub Registrar- Nagaur, Having Boundaries – East – House of Omprakash Mali, west Common Way and Exit, North- House of Ramavatar Mali, South- Public way and waste, water, drainage है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 03.09.2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 14,58,011.78/- (अक्षरे चौदह लाख अठावन हजार इग्यारह रुपये अठहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 19.12.2023 तक ब्याज सहित व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 09.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया, जो Refuse की रिपोर्ट के साथ लौटकर बैंक को प्राप्त हो गया। इसके बाद उक्त नोटिस का दो समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाये जाने के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बैंक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन



2
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 14,58,011.78/- (अक्षरे चौदह लाख अठावन हजार इग्यारह रूपये अठहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 19.12.2023 तक ब्याज सहित व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण अचल सम्पत्ति - Hukmi Chand Sankhla S/o Jagdish Prasad, Anita W/o Hukmi Chand को विक्रय पत्र पता- Patta no 2017/176, Rathori Kuwa, Nagaur, Rajasthan-341001, Admeasurin 113.78 SQ. YDS जो कि दिनांक 09.06.2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1149 में प्रष्ठ संख्या 120 क्रम संख्या 201703099102896 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3262 के पृष्ठ संख्या 170 To 175 पर चस्था किया गया। दिनांक 09.06.2017 in the office of Sub Registrar- Nagaur, Having Boundaries - East - House of Omprakash Mali, west Common Way and Exit, North- House of Ramavatar Mali, South- Public way and waste, water, drainage है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थी से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से रूपये 8,00,000/- (अक्षरे आठ लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 13.10.2017 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में अचल सम्पत्ति - Hukmi Chand Sankhla S/o Jagdish Prasad, Anita W/o Hukmi Chand को



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

विक्रय पत्र पता- Patta no 2017/176, Rathori Kuwa, Nagaur, Rajasthan-341001, Admeasurin 113.78 SQ. YDS जो कि दिनांक 09.06.2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1149 में पृष्ठ संख्या 120 क्रम संख्या 201703099102896 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3262 के पृष्ठ संख्या 170 To 175 पर चर्चा किया गया। दिनांक 09.06.2017 in the office of Sub Registrar- Nagaur, Having Boundaries – East – House of Omprakash Mali, west Common Way and Exit, North- House of Ramavatar Mali, South- Public way and waste, water, drainage है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर